न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 07/2024/अपील

1. टीकम चंद पुत्र कन्हैयालाल
2. धन्नाराम पुत्र जवाहरमल
3. हरि प्रसाद पुत्र जवाहरमल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम मोरडूंगा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजजाज पुत्र महादूराम, जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम मोरडूंगा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

2. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल
3. पूरणमल पुत्र कन्हैयालाल
4. प्रेमराज पुत्र कन्हैयालाल
5. प्रहलाद राय पुत्र कन्हैयालाल
6. भागीरथ मल पुत्र कन्हैयालाल
7. संतरा देवी पुत्री कन्हैयालाल
8. गणेश कुमार पुत्र जवाहरमल
9. चांदमल पुत्र जवाहरमल
10. भंवरलाल पुत्र जवाहरमल
11. शंकरलाल पुत्र जवाहरमल
12. गोमती पुत्री जवाहरमल
13. बिदामी पुत्री जवाहरमल
14. राधा पुत्री जवाहरमल

समस्त 1 ता 13 जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

15. फूले खां पुत्र मिसरू खां
16. आची बानो पत्नी सत्तार खां
17. चांद खां पुत्र सत्तार खां
18. ताज खां पुत्र सत्तार खां
19. सायर खां पुत्र सत्तार खां
20. मोती खां पुत्र सत्तार खां
21. महबूब खां पुत्र सत्तार खां
22. शाहीदा पुत्री सत्तार खां
23. रशीदा पुत्री सत्तार खां
24. नजमा पुत्री सत्तार खां

समस्त जाति कलाल निवासीगण ग्राम मोरडूंगा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज)

25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोद, जिला सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उपस्थितः–

1. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 17 ता 21 की ओर से।

प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण

निर्णय

दिनांकः 20.08.24

1. यह अपील वकील **श्री महेश कुमार पटेल** द्वारा श्री कुणाल राहड़ .आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, धोद के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 बउनवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि अर्न्तगत धारा 251(A) R.T.A. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु पेश किया गया है। आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

   (1) उक्त पीठासीन अधिकारी श्री कुणाल राहड़, उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर दिनांक 09.02.2024 को वादी बृजलाल व वादी के पुत्र सत्यनारायण के साथ ग्राम मोरडूंगा में मौके पर गये। जिसके बारे में प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोई मौका रिपोर्ट बनायी गयी एवं न ही पत्रावली पर इस बारे में कोई रिपोर्ट बनाई है।

   (2) दिनांक 14.05.2024 को प्रकरण की पत्रावली आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आदेश में नियत थी। इस दिन प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी को अवगत करवा दिया था कि दिनांक 10.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 7 कंवरी देवी की मृत्यु हो गयी है। दिनांक 14.05.2024 को 21.05.2024 नियत कर प्रार्थीगण के अधिवक्तागण को अवगत करा दिया गया। दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिये उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय गये और पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को दिनांक 14.05.2024 को ही आदेश जारी कर विधि सम्मत नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध कानूनन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 14.05.2024 अवैध व अनियमित हो जाता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(3) प्रकरण में कंवरी देवी के कायम मुकाम बनाये जाने बाबत तथ्य पत्रावली पर नहीं लिखे गये और पत्रावली में दिनांक 21.05.2024 से दिनांक 24.05.2024 तथा दिनांक 25.05.2024 से दिनांक 28.05.2024 कर दी गयी। दिनांक 28.05.2024 को ऑर्डरशीट में वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 30.05.2024 नियत की गयी।

(4) प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार न्याय किया ही नहीं जाना चाहिये, अपितु न्याय होते हुए दिखना चाहिये। उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए हस्तगत प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित है।

(5) अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के प्रकरण मुकदमा संख्या 06/2020 बउनवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 17 ता 21 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 बउनवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि अर्न्तगत धारा 251(A) R.T.A. को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में अंकित आक्षेप निराधार है। प्रकरण में नियमानुसार तारीख पेशियां दी जाकर सुनवाई की जा रही है। कानून के मुताबिक सभी पक्षों को समान अवसर दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रक्रिया विधिनुसार पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जा रही है। प्रार्थी को इस न्यायालय के प्रति मिथ्या शंका उत्पन्न हो गई है। अतः प्रकरण यदि किसी न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। दौराने बहस अपीलांट के वकील ने कथन किया है कि, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में लम्बित आक्षेपित प्रकरण में पीठासीन अधिकारी दिनांक 09.02.2024 को वादी/अप्रार्थी बृजलाल व वादी के पुत्र सत्यनारायण के साथ ग्राम मोरडूंगा में मौके पर गये।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

जिसके बारे में प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोई मौका रिपोर्ट बनायी गयी एवं न ही पत्रावली पर इस बारे में कोई रिपोर्ट बनाई है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को प्रार्थी की अनुपस्थिति में ही विधि सम्मत नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 बउनवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 251(A) R.T.A. को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील रेस्पो. ने दौराने बहस कथन किये है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 बउवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 251(A) R.T.A. सन् 2020 से लम्बित चल रहा है। जिसमें प्रार्थी ने अभी तक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर नियमानुसार सुनवाई कर आदेश पारित किये गये हैं। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी के खेतों में आवागमन के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने के लिए झूठा स्थानान्तरण आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण रास्ते के संबंध में है जिसके निस्तारण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया विधि में तय की गई है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण विगत काफी वर्षों से रास्ता नहीं होने के कारण अपनी कृषि भूमि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने उपस्थित उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं, कि:—

(1) आक्षेपित प्रकरण संख्या 06/2020 बउनवानी बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 251(A) R.T.A. काफी समय से विचाराधीन चल रहा है। विधि में उक्त प्रकृति के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(2) प्रार्थी अपने आवेदन में दर्ज तथ्यों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में असफल रहे हैं। न ही प्रार्थी यह साबित कर पाये हैं कि अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(3) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलिम्बत किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है।

(4) दौराने कार्यवाही एक तथ्य यह भी है कि आक्षेपित पीठासीन अधिकारी के स्थान पर अन्य कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त चार्ज के रूप में पदस्थापित हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचन आधारहीन, तथ्यहीन हैं तथा अवांछित आधार को मान्य करार नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के विरूद्व बिना सबूत व आधार के मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र में अभिवचन करना न सिर्फ अवांछित है, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांक 20.08.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर